(134)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(36)नविवि/एन.ए.एच.पी./2014 पार्ट   जयपुर, दिनांक 20 APR 2017

आदेश

जयपुर मास्टर प्लान–2025 में जी–1 को छोड़कर शेष सभी भू–उपयोग जोन में अफोर्डेबल हाउसिंग अनुज्ञेय किया हुआ है, इसी तर्ज पर राज्य के अन्य शहरों में प्रभावी मास्टर प्लान मे आवासीय व मिश्रित भू–उपयोग के अलावा प्लान्टेशन बैल्ट/ईकोलोजिकल जोन/ईकोसेन्सेटिव जोन को छोड़कर शेष समस्त भू–उपयोगों में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग अनुज्ञेय किये जाने के संबंध मे विकासकर्ताओं/निकायों से अधिक संख्या मे आवेदन/प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2017 को प्रदत्त आदेश में भू–उपयोग परिवर्तन पर रोक लगायी गयी है, परन्तु वृहद जनहित में राज्य सरकार द्वारा नीति निर्धारण किये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त स्थिति को ध्यान मे रखते हुए मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के तहत शहरी गरीबों के लिये आवास निर्माण को प्लान्टेशन बैल्ट व ईकोलोजिकल जोन/ईकोसेन्सेटिव जोन को छोड़कर प्रभावी मास्टर प्लान के अन्य सभी भू–उपयोग मे अनुज्ञेय उपयोग की श्रेणी मे रखा जावे, जिससे शहरी गरीबों के आवास निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

20/4/17
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजि सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर
9. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
10. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग
11. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
12. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त को आवश्यक कार्यवाही बाबत्.........।
13. वरिष्ठ शासन उप सचिव–नविवि को विभागीय बैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

20/4/17
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

(340)